

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.491/एएल-अनुदेश/राष्ट्रपतीय निर्वाचन/संचार

दिनांक: 14 जुलाई, 2017

1. राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली
2. सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी (मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से)
3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सूची के अनुसार)

विषय: राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 मतदान के दौरान मीडिया कवरेज-तत्संबंधी।

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि 17 जुलाई, 2017 को होने वाले मतदान प्रक्रिया की मीडिया कर्मियों द्वारा सुविधाजनक कवरेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं:-

1. मतदान 17 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक होगा।
2. मतदान हॉल और इसके आस-पास का क्षेत्र पूर्ण रूप में सुग्राही और सुरक्षित होगा, जहां पर केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र रखने वाले मीडिया कर्मियों को एक नियंत्रित एवं संचालित विधि से प्रवेश करने की अनुमति होगी। रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उचित और पर्याप्त आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
3. जिन मीडिया कर्मियों के पास भारत निर्वाचन आयोग के प्राधिकार पत्र हैं, उन्हें मतदान प्रक्रिया के लिए किए गए प्रबंधों को कवर करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं/करनी चाहिए।
4. मीडिया कर्मियों और समूहों को इस प्रकार की उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ऐसे एक अथवा दो वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए जो मीडिया कर्मियों के प्रभावी संपर्क में रहेंगे। इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान हॉल के भीतर नियमित अंतरालों पर मीडिया समूहों के साथ आना और उन्हें इस प्रकार से एस्कार्ट करना चाहिए जैसे कि वे एक आयोजित दौरे पर आए हों।
5. मतदान हॉल पूर्ण रूप से शांत क्षेत्र होगा। हॉल के भीतर किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान हॉल के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी।
6. उन मीडिया कर्मियों को, जिनके पास मतदान प्रक्रिया को कवर करने के लिए आयोग के प्राधिकार पत्र हैं, उन्हें उन्हीं प्राधिकार पत्रों के आधार पर पुनः प्रवेश करने दिया जाए। किन्तु, प्रत्येक बार प्रत्येक प्रवेश, अनुशासन के अनुरक्षण, उचित शिष्टाचार एवं शांतिपूर्ण मतदान के आयोजन की संपूर्ण अपेक्षाओं के अध्यक्षीन होगा।
7. यह ध्यान रखा जाए कि मतदान हॉल के भीतर किसी स्थैतिक (स्थायी) कैमरे की अनुमति नहीं होगी। अतः, मतदान हॉल के भीतर किसी कैमरे स्टैण्ड को लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान कम्पार्टमेंट के भीतर फोटोग्राफी कड़ाई से वर्जित हो ताकि मतदान की गोपनीयता भंग न हो। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उस वास्तविक स्थान को सभी संबंधितों के मार्ग

दर्शन के लिए पहले से ही एक रस्सी बांधकर चिह्नित किया जाना चाहिए जहां तक मीडिया कार्मिक स्टिल अथवा वीडियो कैमरे के साथ या इसके बिना आ-जा सकते हैं। इसके लिए उस स्थान को चिह्नित किया जाना चाहिए।

8. वीडियो कैमरे के साथ किसी भी व्यक्ति को मतदान परिसर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया कार्मिकों को केवल स्टिल फोटो लेने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में, मत पर निशान लगाते हुए किसी निर्वाचक की फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भवदीय,

(सुमनकुमार दास)
अवर सचिव